151

उपायुक्त का कार्यालय, सरायकेला–खरसावाँ

(जिला योजना शाखा)

:: आदेश ::

सरकार के सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 88/C, दिनांक 29.05.2015 एवं अधिसूचना संख्या – 05/u.ni.(MoU)-23/2013/692 के आलोक में जिला में CSR कार्यक्रमों के अनुश्रवण के लिए झारखण्ड CSR परिषद के अंतर्गत जिला CSR समिति का गठन करने का निदेश दिया गया है। उक्त आदेश के आलोक में " **जिला CSR समिति, सरायकेला–खरसावाँ** " का गठन किया जाता है, जिसके सदस्य निम्नवत है :–

(i)	उपायुक्त	–	अध्यक्ष
(ii)	उप विकास आयुक्त	–	सदस्य
(iii)	असैनिक शल्य चिकित्सक	–	सदस्य
(iv)	जिला समाज कल्याण पदाधिकारी	–	सदस्य
(v)	जिला शिक्षा अधीक्षक	–	सदस्य
(vi)	कार्यपालक अभियंता, पेय जल एवं स्वच्छता विभाग, सरायकेला	–	सदस्य
(vii)	जिला योजना पदाधिकारी	–	सदस्य
(viii)	जिला कल्याण पदाधिकारी	–	सदस्य
(viii)	चेम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि	–	सदस्य
(ix)	प्रतिनिधि, Adhunik Alloys & Power Ltd.	–	सदस्य
(x)	प्रतिनिधि, Ram Kirshna Forgings Ltd.	–	सदस्य
(xi)	प्रतिनिधि, Rungta Mines Ltd.	–	सदस्य
(xii)	प्रतिनिधि Metalsa Ltd.	–	सदस्य
(xiii)	प्रतिनिधि Usha Martin Ltd.	–	सदस्य

जिला CSR समिति का मुख्य कार्य जिला में चल रहे CSR कार्यक्रमों का अनुश्रवण है एवं अन्य कार्य निम्नवत है :–

(i) जिला में चल रहे CSR कार्यकलापों के वार्षिक कार्य योजना का अनुश्रवण।

(ii) जिला में स्थित कम्पनियों के CSR प्रतिवेदन के आलोक में वार्षिक CSR व्यय की समीक्षा।

(iii) अधिसूचना के अनुच्छेद 1 के अनुसार पिछडे क्षेत्रों में CSR के कार्यकलापों की कार्यान्वयन हेतु कम्पनियों को निदेश देना।

(iv) कम्पनियों के द्वारा किये जा रहे CSR कार्यकलापों का नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण।

(v) CSR के शासी निकाय को जिला में चल रहे CSR कार्यकलापों का नियमित प्रतिवेदन समर्पित करना।

जिला CSR समिति की बैठक वर्ष के प्रत्येक तिमाही में एक बार अथवा आवश्यकता के अनुसार होगी। जिला CSR समिति अन्य कम्पनियों के प्रतिनिधियों को भी बैठक में बुला सकती है।

उक्त सभी सदस्यों से अनुरोध है कि समय–समय पर आहूत " **जिला CSR समिति, सरायकेला–खरसावाँ** " की बैठक में भाग लेने का कष्ट किया जाय।

ह०/–

उपायुक्त –सह– अध्यक्ष,
जिला CSR समिति,
सरायकेला–खरसावाँ

ज्ञापांक 190 /जि०यो०, सरायकेला, दिनांक 6/6/2015

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित सदस्य, जिला CSR समिति, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त –सह– अध्यक्ष,
जिला CSR समिति,
सरायकेला–खरसावाँ